राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 393/2019

प्रार्थीः– सरपंच, ग्राम पंचायत सारणपुरा पंचायत समिति, बापिणी

बनाम

अपार्थीः–तहसीलदार, बापिणी।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: आदेश ::–

दिनांकः–20.11.2019

सरपंच, ग्राम पंचायत, सारणपुरा द्वारा ग्राम हाजीसागर के खसरा नम्बर 758 रकबा 12.12 बीघा किस्म गै.मु.भाकर में से 4.04 .00 बीघा भूमि सड़क मार्ग हेतु आवंटन की मांग करते हुए तहसीलदार, बापिणी ने पत्र कमांकः– राजस्व/2019/668 दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर मय आवश्यक संलग्नक के पेश किया गया, जिसमें भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र मय चैकलिस्ट, ग्राम पंचायत, सारणपुरा का मांग पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत, सारणपुरा के प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 20.06.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पटवारी, पटवार हल्का, आउ की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 6.07.2019 व राजस्व रेकर्ड मय नक्शा के बाद जांच मय अनुशंषा के प्रस्तुत किया, कि प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है, निर्माण नहीं है तथा किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है, आवंटन किया जाना उचित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम हाजीसागर के खसरा नम्बर 758 किस्म गै.मु.भाकर रकबा 12.12 बीघा का मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क बनाई गई है, जिसका नजरी नक्शा साथ मे पेश किया व किसी प्रकार का कोई न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। न ही कमाण्ड क्षैत्र में आती है। उक्त भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर होने एवं तहसीलदार, बापिणी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किए जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र कमांक प 3 (2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसरण मे निम्नानुसार भूमि आवंटन की जाती है।

अतः तहसीलदार, बापिणी को आदेशित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड में किया जावे।

क. सं.	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	किस्म	आरक्षित रकबा	जिसे भूमि आवंटन की जानी है।
1	हाजीसागर	758	12.12 बीघा	गै.मु.भाकर	04.04.00 बीघा	पचायती राज विभाग को रास्ता प्रयोजनार्थ आवंटित की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रतनलाल रेगर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
ओसियां
सहायक कलेक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:55:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner